

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

हंसाम पुत्र श्री रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार, तहसील-रेवदर, जिला-सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 04/2017

“अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 08 फरवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा खातेदारी कृषि भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के तहत समर्पण स्वीकार किया जाकर इस भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के संबंध में जारी आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13 दिनांक 23.4.2015 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर से उक्त समर्पण आदेश दिनांक 23.4.2015 से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई, लेकिन तहसीलदार, रेवदर से उक्त समर्पण आदेश की मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रेवदर को उक्त समर्पण आदेश से संबंधित मूल पत्रावली इस न्यायालय को भिजवाने हेतु बार-बार स्मरण पत्र लिखे जाने पर तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/897 दिनांक 13.12.2018 से यह अवगत कराया कि आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13 दिनांक 23.4.2015 की पत्रावली उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/406 दिनांक 21.5.2018 से इस न्यायालय को भिजवाई गई है एवं इस पत्र के साथ उक्त पत्रावली की छाया प्रति प्रमाणित कर इस न्यायालय को भिजवाई गई। जबकि तहसीलदार, रेवदर की उक्त मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रेवदर से इस न्यायालय को पत्रावली भिजवाये जाने की प्राप्ति रसीद इस न्यायालय को भिजवाने हेतु पत्र लिखे गये। जिस पर तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक:स्थापन/2019/670 दिनांक 11.11.2019 से इस न्यायालय को यह अवगत कराया कि उक्त पत्रावली डाक के द्वारा भिजवाई गई है। जिसकी पुष्टि में तहसीलदार, रेवदर द्वारा इस पत्र के संलग्न डाक रजिस्टर (स्टाम्प पोस्टेज रजिस्टर) की प्रमाणित प्रतिलिपि इस न्यायालय को भिजवाई गई। इस स्टाम्प पोस्टेज रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दिनांक

दिनांक 08 फरवरी, 2021



जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

05.6.2018 को उक्त पत्रावली व अन्य एक पत्रावली को रुपये 10/- (अक्षरे रुपये दस मात्र) के पोस्टेज स्टाम्प पर एक साधारण डाक लिफाफे से इस न्यायालय को भिजवाना अंकित है। इस स्टाम्प पोस्टेज रजिस्टर दिनांक 05.6.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार एक ही दिन में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को दो-दो अलग डाक लिफाफे साधारण डाक से प्रेषित किये गये हैं। चूंकि तहसीलदार, रेवदर से उक्त मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने पर आखिर पत्रावली कहां गई व इस हेतु कौन दोषी है? के संबंध में इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:रीडर/2019/1156-1157 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रेवदर को प्रकरण में जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, रेवदर से आदिनांक तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके संबंध में पृथक से कार्यवाही जारी है। तहसीलदार, रेवदर से भी उक्त मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई, केवल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्राप्त हुई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काशत की कृषि भूमि ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा, तहसील, रेवदर में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा है। इस भूमि पर अपीलार्थी काशत कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी की इस भूमि के संबंध में मंजूर अली पुत्र श्री शौकत अली, जाति-मुसलमान, निवासी- मण्डार ने एक समर्पण पत्र लिखकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 55 काशतकारी अधिनियम के तहत इस भूमि के समर्पण को स्वीकार कर भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं जो विधि विरुद्ध व गलत है। अपीलार्थी ने मंजूरअली पुत्र शौकतअली को इस भूमि के समर्पण के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये हैं व न ही इस भूमि का समर्पण करने हेतु पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर बनाया है। अपीलार्थी की जानकारी व सहमति के बिना अपीलार्थी के पीठ पीछे अपीलार्थी के खातेदारी भूमि के समर्पण की कार्यवाही की गई है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने समर्पण आदेश जारी करने से पूर्व मौके की हल्का पटवारी से जांच नहीं करवाई है व न ही मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई है। तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक दिन में आनन फानन में समर्पण आदेश जारी किया है। अपीलार्थी एक गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कृषि की आय पर ही आश्रित है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को बिना किसी कारण व प्रतिफल के समर्पण किये जाने से अपीलार्थी के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। मौके पर इस भूमि का रास्ते के रूप में कोई उपयोग नहीं है तथा न ही अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को बिना किसी मुआवजे के रास्ते की भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। अपीलार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से कुटर्चित दस्तावेज के आधार पर समस्त कार्यवाही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी श्री हंसाराम पुत्र श्री रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार

....पेज तीन पर



  
जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)  
सिरौही (राज.)

के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर मंजूरअली पुत्र श्री शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार द्वारा ग्राम मगरीवाडा में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा किस्म दी.पी.1 का रास्ते हेतु समर्पण करवाने हेतु समर्पण पत्र दिनांक 23.4.2015 को तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा नियमानुसार समर्पण आदेश जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं इस न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया तो यह पाया कि मंजूरअली पुत्र श्री शौकत अली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार ने दिनांक 23.4.2015 को तहसीलदार, रेवदर के समक्ष एक समर्पण पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मगरीवाडा में खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा किस्म दी.पी.1 स्थित है जो वर्तमान राजस्व जमाबंदी के अनुसार हंसाराम पुत्र रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार के नाम बतौर खातेदार दर्ज है एवं हंसाराम पुत्र रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार ने इस भूमि के संबंध में समस्त प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करने हेतु सर्वाधिकार पत्र के जरिये मुझ मंजूरअली पुत्र श्री शौकत अली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार को अधिकृत कर रखा है, इसलिये बहसियत सर्वाधिकार पत्र धारक के उक्त भूमि खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा को राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रेवदर के हक में रास्ते हेतु समर्पण करता हूँ। मंजूरअली पुत्र शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी-मण्डार द्वारा उक्त भूमि का समर्पण पत्र तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 580 रकबा 1.00 बीघा खातेदारी कृषि भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के तहत समर्पण स्वीकार किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13 दिनांक 23.4.2015 को जारी किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा इस न्यायालय को आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/307-09 दिनांक 23.4.2015 की पत्रावली की भिजवाई गई प्रमाणित प्रतिलिपियों में मंजूरअली पुत्र श्री शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार द्वारा तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत समर्पण पत्र दिनांक 23.4.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि व तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13 दिनांक 23.4.2015 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि ही भिजवाई गई है, इनके साथ सर्वाधिकार पत्र (पॉवर ऑफ एटोर्नी) की छाया प्रति या प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं भिजवाई है, इस कारण प्रकरण में इस तथ्य की जांच की जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी हंसाराम पुत्र श्री रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार द्वारा मंजूरअली पुत्र श्री शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार को उक्त कृषि भूमि का रास्ते के रूप में समर्पण करने का अधिकार दिया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, रेवदर ने उक्त कृषि भूमि के समर्पण को स्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है एवं न ही भूमि के मौके की जांच व मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर

....पेज चार पर



.....  
श्री. विजय शर्मा  
शिरोही (पञ्ज.)

तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को अपीलार्थी हंसाराम एवं अपीलार्थी हंसाराम के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर मंजूरअली पुत्र श्री शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पॉवर ऑफ एटोर्नी के संबंध में जांच कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13 दिनांक 23.4.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी हंसाराम पुत्र श्री रुडाराम, जाति- भील, निवासी- मण्डार एवं अपीलार्थी हंसाराम के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर मंजूरअली पुत्र श्री शौकतअली, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार को सुनवाई का अवसर देते हुए पॉवर ऑफ एटोर्नी की जांच कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करे। निर्णय सुनाया गया।



8/2/2021  
(गितेश श्री मालवीया)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही